	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.टी. तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल वर्गै. (1/3) आदेश दिनांक : 17.07.2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17.07.2025

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् साक्षी को तलब किये जाने पर बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता वादी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी ने विक्रय की संविदा की पालना बाबत् वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त फैक्ट्री का सौदा कराने वाला व्यक्ति राधेश्याम था। राधेश्याम इस सौदे का मुख्य साक्षी है जिसने फौजदारी प्रकरण में भी साक्ष्य दी थी। इस तथ्य का उल्लेख वादी ने अपने वादपत्र में एवं साक्ष्य वादी में परीक्षित हुए गवाहान ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी किया है। गवाह राधेश्याम वादी के बुलाने पर साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है। उक्त गवाह प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसकी वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त फैक्ट्री का सौदा कराने की मुख्य भूमिका रही है। अतः वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साक्षी राधेश्याम पुत्र दयाशंकर पालीवाल निवासी जावद नगरपरिषद राजसमन्द को साक्ष्य वादी में बतौर साक्षी तलब किया जावें।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि वाद जिस गवाह राधेश्याम को तलब करवाना चाहता है, उसके विरूद्ध एन.आई. एक्ट के कई प्रकरण दर्ज है। वह राजसमन्द में नहीं रह रहा है। यह प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन है। वादी ने 14 वर्ष पश्चात् उक्त गवाह को तलब कराना चाहा है जिससे यह स्पष्ट है कि वादी प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। वादी ने गवाह सूची में उक्त गवाह का नाम अंकित नहीं किया था। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह को तलब करवाया जाना आवश्यक नहीं है। वादी चाहे तो उक्त गवाह को अपने स्तर पर परीक्षित करवा सकता है। अतः वादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी. तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल वर्क्स. (2/3) आदेश दिनांक : 17.07.2025	नाम अहल हुक्म में

वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद संविदा की पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में विवादित जायदाद का उल्लेख वादपत्र के मद संख्या 1 में किया है। वादग्रस्त जायदाद राजस्व ग्राम करजिया, पटवार क्षेत्र गुंजोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द नेशनल हाईवे नंबर 8 पर अजन्ता मार्बल प्रा.लि. फैक्ट्री (जिसमें मार्बल गैंगसा मशीन मय उपकरण, मशीनरीज, क्रेन, विद्युत कनेक्शन मय महेन्द्रा जीप मय भूमि) स्थित है। उक्त विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 के स्वत्व, हक, अधिकार एवं भौतिक आधिपत्य की हैं। प्रतिवादी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की जरूरत होने से उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 1 ने 1,95,00,000/– रुपये में वादी संख्या 1 को विक्रय करना तय करते हुये मौखिक विक्रय अनुबंध विलेख दिनांक ८ 10.06.2010 को किया है एसं उसी समय अग्रिम राशि सांयी पेटे 11,00,000/– रुपये नकद वादी से प्राप्त किये गये। दिनांक ८ 10.06.2010 को वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौखिक रूप से विक्रय अनुबंध सम्पन्न हुआ। वादी ने अपने वादपत्र के मद संख्या 6 में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि उक्त संविदा की पालना में वादी के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति का अंतरण/विक्रय नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी वादग्रस्त सम्पत्ति का निदेशक नहीं है और न ही उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर शेयर है। उसने दिनांक 10.06.2010 को वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। वादग्रस्त सम्पत्ति/कम्पनी का स्वामी/निदेशक एवं शेयरधारी श्री महेन्द्र कुमार है जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति/कम्पनी का इकरारनामा दिनांक 22.02.2010 को निष्पादित किया है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा महेन्द्र कुमार को बकाया प्रतिफल राशि अदा नहीं की गई। इस कारण उपरोक्त मौखिक संविदा की पालना करना संभव नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 के मध्य हुई उक्त मौखिक संविदा दिनांक 10.06.2010 की शर्तों के अनुसार ही एवं उनकी अनुपालना में ही

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी. तुलसीराम बनाम अजन्ता गार्बल वगै. (3/3) आदेश दिनांक : 17.07.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 22.06.2010 को पुनः लिखित संविदा निष्पादित की गई और दोनों पक्षों ने संविदा की पालना की समय सीमा एक माह तय की गई।

वादी ने अपने वादपत्र में संविदा दिनांक 10.06.2011 एवं दिनांक 22.06.2011 की विनिर्दिष्ट पालना करवाये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अनुतोष चाहा है। प्रकरण साक्ष्य वादी की स्टेज पर लंबित है। वादी ने अपने वादपत्र में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त फैक्ट्री का सौदा राधेश्याम पुत्र दयाशंकर पालीवाल निवासी जावद के मार्फत हुआ था और उक्त सौदे के कमीशन की राशि 3,50,000/– रुपये प्रतिवादी संख्या 1 को राधेश्याम को अदा करनी थी। वादी अपनी साक्ष्य में गवाह राधेश्याम को न्यायालय में परीक्षित करवाना चाहता है। वादी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि गवाह राधेश्याम सौदा की सही व वास्तविक साक्ष्य देने हेतु तैयार व तत्पर है परन्तु वह न्यायालय के बुलाने पर साक्ष्य हेतु उपस्थित हो सकता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त गवाह राधेश्याम प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसको साक्ष्य वादी में तलब करवाया जाना प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण के लिए आवश्यक है। अतः वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गवाह राधेश्याम पुत्र दयाशंकर पालीवाल निवासी जावद नगरपरिषद राजसमन्द को साक्ष्य हेतु जरिये सम्मन तलब किया जावें।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त गवाह को तलब करने हेतु पी.एफ. सम्मन वादी द्वारा अविलम्ब प्रस्तुत किये जावें एवं सम्मन की तामील वादी की निशानदेही से करवाई जावें। यदि वादी के द्वारा सम्मन की तामील करवाये जाने में और गवाह की निशानदेही करने में सहयोग नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उक्त गवाह को तलब नहीं किया जावेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)